

>

Title: Need to take effective measures to ban child labour and make suitable arrangements for rehabilitation of child labour in the country.

**श्री वीरिन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** देश की राजधानी दिल्ली में भी एक लाख से अधिक श्रमिक बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में 15 जुलाई, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक बाल मजदूरी के 389 प्रकरण दर्ज किए गए। बाल मजदूरी से 3257 बच्चों को मुक्त कराया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई, 2009 को राजधानी में बाल मजदूरी समाप्त करने के संबंध में सरकार, श्रम विभाग और पुलिस को निर्देश दिया था कि हर माह कम से कम 500 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराये तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। इस आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों से बाल मजदूरी को समाप्त करने तथा उनके पुनर्वास के समुचित प्रबंध करने की शीघ्र कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।